

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

21/11/21 विपक्षी के यु लाल

दमा

पत्रावली संख्या 72/19 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

11/1/21
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....03/5/21.....को पेश हो।

3/5/21
पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को
देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति
के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के
के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी।
अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....16/8/21.....को पेश हो।

16/8/21
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक.....25/10/21.....को पेश हो।

25/10/21
वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. / गोरिस/का. कामरा
के लिये मौका चाहते हैं। अतः उपस्थित
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/12/21
को पेश हो।

SDO मावली

21/11/21
पत्रावली हराव की गई। 'प्रसारण गांधी के
संग 20/11/21' का संबंधित किया जाने
से पत्रावली में अतिआवश्यक प्रकृति का
सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक-21/11/21
दिनांक 21/11/21 को पेश हो।
सहायक बालकटर
(SDO) मावली



12/11/21

पत्रावली आज नैमा में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजा-
गामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
में दिनांक-14/3/22... को
जा हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

21/12/21

पत्रावली आदि बाकी मध्य पार्थों द्वारा धा. पत्र
आदेश²³ नियम 1 ला. सी का पेश करने पर तलब
की गई। प्रकरण में पक्षकारों ने मध्य आपसी
राजीगमा हो जाने से पार्थों द्वारा कोई कार्यवाही
नहीं चाहेकर इसी स्तर पर ड्रॉप कराया जा रहा है।
पार्थों की पहचान उम्मे मधि. द्वारा की गई।
अतः प्रकरण में पार्थों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं
चाहे से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया
जा रहा है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो। निर्णय सुनाया गया। पूर्व में जारी
अन्तरिम प्र. विषेधाजा इतदि जानी है।